झारखण्ड विधान सभा

दैनिक विवरणिका

पंचम् झारखण्ड विधान सभा
संख्या–08

एकादश (बजट) सत्र
मंगलवार, दिनांकः–14 मार्च, 2023 ई०।

समयः–11:00 बजे पूर्वा० से 05:08 अप० तक।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

1. प्रश्नकाल

आज के लिए निर्धारित प्रश्नों का व्यवस्थापन निम्न प्रकार से हुआः–

(i) अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या–26

(क) उत्तरित कुल–04	अ०सू०–13, प्रो० स्टीफन मराण्डी,	स०वि०स०
	अ०सू०–01, श्री विनोद कुमार सिंह,	स०वि०स०
	अ०सू०–57, प्रो० स्टीफन मराण्डी,	स०वि०स०
	अ०सू०–61, श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन,	स०वि०स०
(ख) अपृष्ट कुल–01	अ०सू०–26, श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह,	स०वि०स०
(ग) अनागत कुल–21	क्रम संख्या–136 से 156 तक।	

(ii) तारांकित प्रश्नों की कुल संख्या–66

(घ) अनागत कुल–66 क्रम संख्या–253 से 318 तक

2. नियमन

माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा कहा गया कि सदन में माननीय मंत्रीयों के द्वारा जो भी आश्वासन दिया जाता है, उसपर जल्द–से–जल्द पालन हो।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नई नियोजन नीति के विरूद्ध वेल में लगातार शोरगुल व प्रदर्शन जारी रखने के कारण 11:30 बजे पूर्वा0 में सदन की कार्यवाही 12:30 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी)

3. शून्यकाल की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–303 के तहत आज के लिए स्वीकृत शून्यकाल की सूचनाओं को पढ़ा हुआ मानते हुए लिखित उत्तर के लिए संबंधित विभागों में भेजे जाने हेतु आसन से निदेश दिया गया।

→

4. ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचनायें

झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–147 के तहत् प्रस्तुत ध्यानाकर्षण की सूचना एवं उनपर दिए गए वक्तव्य निम्नवत् है:–

i. श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी, जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

ii. श्री समीर कुमार महान्ती, स0वि0स0 एवं अन्य द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना पढ़ी गयी जिसपर सरकारी वक्तव्य हुआ,

iii. श्री मनीष जायसवाल, स0वि0स0 द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना अपृष्ठ।

(श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स0वि0स0 ने आसन से आग्रह किया कि नई नियोजन नीति को लेकर लगातार गतिरोध जारी है तथा सदन के कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। हमलोग सिर्फ तीन बिन्दुओं पर यथा **(a)** 1932 का क्या हुआ? **(b)** 2016 से पहले का नियोजन नीति क्या है एवं **(c)** 60:40 क्या है?, के सम्बन्ध में माननीय मुख्यमंत्री से सदन में वक्तव्य दिलाया जाय, ताकि यह गतिरोध समाप्त किया जा सके।)

सूचना:– श्री सुदेश कुमार महतो, स0वि0स0 ने सदन को सूचित किया कि ग्रामीण व पथ निर्माण विभाग में मुख्य अभियन्ता नहीं रहने के कारण कार्य निष्पादन में कठिनाई हो रही है। रिक्ति को भरे जाने की दिशा में कार्रवाई ली जाय।

5. सभा मेज पर प्रतिवेदन का रखा जाना

आसन से पुकारे जाने पर माननीय सभापति, श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी द्वारा अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति का सातवाँ प्रतिवेदन झारखण्ड विधान सभा का प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम–216(1) के तहत सदन पटल पर उपस्थापित किया गया।

6. वित्तीय कार्य

आसन द्वारा पुकारे जाने पर कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) के माननीय प्रभारी मंत्री श्री बादल द्वारा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) मांग संख्या–0· के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 28,04,13,88,000/–(अट्ठाईस अरब चार करोड़ तेरह लाख अट्ठासी हजार) रूपये से अनधिक की मांगे सभा में प्रस्तुत की गयी। माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सिंह द्वारा इस मांग से संबंधित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नई नियोजन नीति के विरूद्ध वेल में लगातार शोरगुल व प्रदर्शन जारी रखने के कारण 12:53 बजे अप0 में सदन की कार्यवाही 02:00 बजे अप0 तक के लिए स्थगित करने की घोषणा आसन से की गयी।)

(अन्तराल)

मानानीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया।

7. वित्तीय कार्य (क्रमांक–6 से जारी)

अन्तराल के पूर्व प्रस्तुत मांग पर आसन के निदेश से माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सिंह ने चर्चा प्रारम्भ की। इसके उपरान्त निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भी इसमें भाग लिया:–

श्री रामदास सोरेन

श्री अनन्त कुमार ओझा

श्री रामचन्द्र सिंह

डॉ0 लम्बोदर महतो

श्री विनोद कुमार सिंह

श्री सरयू राय

श्री भूषण तिर्की

(चर्चा के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों का 03:52 अप0 में सदन से बहिर्गमन)

8. सूचना

1. माननीय सदस्य श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह ने अन्य राज्य में पूर्व विधान सभा अध्यक्ष को प्राप्त सुविधा के समान झारखण्ड के पूर्व विधान सभाध्यक्षों को भी एक सरकारी आवास, निजी सहायक एवं चालक सहित अन्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु एक कमेटी बनाकर इसे क्रियान्वित करने का आग्रह किया, जिसपर माननीय संसदीय कार्यमंत्री श्री आलमगीर आलम द्वारा अनुरोध करने पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पर सहमति प्रदान की।
2. माननीय सदस्य श्री भानू प्रताप शाही ने एक कमेटी गठित कर माननीय सदस्यों के वेतन–भत्तों में संशोधन हेतु आसन से आग्रह किया।
3. माननीय सदस्य श्री सरयू राय ने यह सूचना दिया कि नदियां सूख रही है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित चाण्डिल डैम के नीचे मोहरदा जलापूर्ति योजना के लिए जल नहीं छोड़ा जा रहा है, जबकि उस क्षेत्र में स्थित दर्जनों उद्योगों के लिए जल छोड़ा जा रहा है, जो अत्यंत ही दुःखद है। यथाशीघ्र मोहरदा जलापूर्ति योजना के लिए जल छोड़ा जाय।
4. माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सिंह ने यह आग्रह किया कि स्व0 समरेश सिंह एवं स्व0 हेमेन्द्र प्रताप देहाती का तैल चित्र विधानसभा में लगाया जाय।
5. माननीय सदस्य श्री नारायण दास ने सूचना दिया कि सुखाड़ में आपूर्ति विभाग के द्वारा देवघर जिलांतर्गत जनवितरण प्रणाली के दुकानों में चावल को आपूर्ति की गयी है, परन्तु गेहूँ की आपूर्ति नहीं की गई है। गरीबों को गेहूँ प्राप्त नहीं हो रहा है। जबकि मशीनों में गेहूँ की उपलब्धता बताया जा रहा है। ऐसे गबन करने वाले पदाधिकारियों पर कार्रवाई किया जाय।
6. माननीय सदस्य श्री अनन्त कुमार ओझा ने सूचना दिया कि राजमहल क्षेत्र के अंतर्गत 1965 में बांग्लादेश से आये हिन्दू शरणार्थियों को तत्कालीन सरकार द्वारा बसाया गया है। वर्तमान सरकार की

नीतियों के चलते उनके विस्थापित होने का संकट मंडरा रहा है, जिससे वह भयभीत है। इन हिन्दू शरणार्थी के भयमुक्त शरण की व्यवस्था की जाय एवं उन्हें संरक्षण दिया जाय।

7. माननीय सदस्य डॉ0 इरफान अंसारी ने सूचना दिया कि जामताड़ा जिलांतर्गत एक मेगा डेयरी प्लान्ट स्थापित किया जाय, जिससे कि वहाँ के दुग्ध–व्यवसायियों को रोजगार मिल सके।
8. माननीय सदस्य श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी ने अपने क्षेत्र अंतर्गत पशु चिकित्सक की कमी की सूचना दी तथा सभी प्रखण्डों एवं सभी पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक नियुक्त करने की मांग की।
9. माननीय सदस्या श्रीमती शिल्पी नेहा तिर्की ने आग्रह किया कि झारखण्ड राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षा आरम्भ हो गई है। वर्तमान समय में बिजली व्यवस्था अत्यंत लचर है, जिन्हें यथाशीघ्र सुधार कर निर्वाध बिजली आपूर्ति की जाय, ताकि पढ़ाई में असुविधा न हो।

इसके बाद सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री श्री बादल वित्तीय वर्ष 2023–24 के आय–व्ययक में सम्मिलित अनुदान की मांगों कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (कृषि प्रभाग) की मांग संख्या–01 पर सभा में सरकार की ओर से उत्तर दिया, जो सभा द्वारा स्वीकृत हुआ तथा माननीय सदस्य श्री रणधीर कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

तत्पश्चात् सदन की कार्यवाही बुधवार, दिनांक–15 मार्च, 2023 के 11:00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित की गयी।

राँची,
दिनांक–14 मार्च, 2023

सैयद जावेद हैदर,
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।